(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** (State). from the **(088) DAUSA** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

MURARI LAL (Name)

Aravali Vihar, Khan Bhakri Road Ward No - 35 Dausa (Dist-Dausa) (Address) sponsored by Indian National Congress (name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- DAUSA

Date:- 11<sup>TH</sup> December 2018

(Dr. Gordhan Lal Sharma)

Returning Officer
(088) Dausa Assembly constituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate,
Dausa) Distt.–Dausa (Rajasthan)

रिटर्निंग अधिकारी (SDM) विधानसभा क्षेत्र, दौसा (088)

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान सर्विरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

## (088) दौसा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मुरारी लाल (नाम)

अरावली विहार, खान भाकरी रोड, वार्ड स—35 दौसा (जिला—दौसा) 303303 (पता) <sup>1</sup>(जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :-दौसा

तारीख :- 11 दिसम्बर, 2018

(डॉ. गोरधन लाल शर्मा) रिटर्निंग अधिकारी

(088) दौसा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा) जिला दौसा

> रिटर्निंग अधिकारी (SDM) विधानसभा क्षेत्र, दौसा (088)